उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—7
संख्याः 1/263976/2024 / XXVII(7) / E-75244 / 2024
देहरादूनः दिनांक 27 दिसम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—3525 / सात / 2004 / 17—उद्योग / 04 दिनांक:10 जनवरी,2005, शासनादेश संख्या—4249 / VII-2/06 /17—उद्योग / 2004 दिनांक 10 अक्टूबर, 2006, शासनादेश संख्या—2740 / VII-1 - 10/17—उद्योग / 2004 दिनांक 12 जनवरी, 2011 एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—193 / XXVII(7)/19-27(3)/2006 तदिनांक 05 अगस्त, 2019 के द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के वाहन चालकों की वर्दी के लिए निर्धारित व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों में नियमित रूप से कार्यरत वाहन चालकों को प्रतिवर्ष रू 3,000.00 / —(रू0 तीन हजार मात्र) वर्दी भत्ता अनुमन्य करते हुए संबंधित वाहन चालक के वेतन खाते में निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमा कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

(i) समस्त वाहन चालकों द्वारा वर्दी सिलवाने के पश्चात् आहरण—वितरण अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र दिया जायेगा कि वर्दी सिलवा ली गयी है एवं सुव्यवस्थित अवस्था में है।

(ii) समस्त वाहन चालको को प्रत्येक कार्य दिवस में वर्दी धारण कर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(iii) समस्त वाहन चालको के लिए यह आवश्यक होगा कि वर्दी पर बायीं ओर उनका नाम और पदनाम अंकित होगा एवं वर्दी अनिवार्य रूप से धारण की जायेगी।

(iv) यदि कोई वाहन चालक वर्दी में उपस्थित नहीं रहता है तो वर्दी हेतु अनुमन्य धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(v) वर्दी भत्ता अनुमन्य किये जाने के पश्चात सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / जिस अधिकारी के साथ वाहन चालक तैनात है, का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वाहन चालक वर्दी में ही आये।

Signed by
Dilip Jawalkar
Date: 26.12.2024 14:15:16
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या : 1/263976/2024 / XXVII(7)E-75244/2024, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः